रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2011/माघ 15, 1932

No. 209] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2011/MAGHA 15, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2011

का.आ. 249(अ).—प्रारूप नियम, अर्थात् प्लास्टिक (विनिर्माण, उपयोग और अपशिष्ट प्रबंध) नियम, 2009 को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कानूनी आदेश संख्यांक 2400(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2009 द्वारा जो उसी तारीख के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 सितम्बर, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुन:चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—

नियम 5 और नियम 8 के उपबंध निर्यात अभिमुखी विनिर्माण इकाइयों द्वारा संबद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश के विरुद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैरी बैगों के निर्माण के लिए लागू नहीं होंगे । यह छूट, किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य पर लागू नहीं होती है ।

3. **परिभाषाएं**:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **"कैरी बैग"** से सभी प्लास्टिक के बैग अभिप्रेत हैं जो वस्तुओं को ले जाने के लिए जिनमें स्वतः वहन करने की विशिष्टताएं सम्मिलित हैं, उपयोग किए जाते हैं;

(ग) **"वस्तुओं"** से सम्मिलित चीजें अभिप्रेत हैं किन्तु वे सब्जियों, फलों, भेषजीय, खाद्य-पदार्थों और इसी प्रकार की अन्य चीजों तक सीमित नहीं है;

(घ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-ऑक्साइड जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(ङ) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(च) **"विघटन"** किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(छ) **"विस्तृत उत्पादक का उत्तरदायित्व (ईपीआर)"** से प्लास्टिक कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या ऐसे उत्पाद के, जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो, पर्यावरण रूप से सुदृढ प्रबंध के लिए पैकेजों के उत्पादक या विनिर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ज) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं ;

(झ) **"विनिर्माणकर्ता"** से ऐसा कोई उत्पादनकर्ता अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय पैकेजिंग, पाउचों और इसी प्रकार की अन्य चीजों का उत्पादनकर्ता है या किसी उत्पाद की पैकेजिंग में ऐसे पदार्थों का उपयोग करता है;

(ञ) **"नगर पालिका प्राधिकरण"** से नगर निगम, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् अभिप्रेत हैं जिसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां नगर पालिका का प्रबंध और प्रहस्तन किसी ठोस अपशिष्ट के बारे में ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित है;

(ट) **"बहुस्तरीय प्लास्टिक"** से कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो पैकेजिंग सामग्री का एक से अधिक संयोजन रखती है जैसे पेपर, पेपर बोर्ड, बहुलक सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लैमिनेट प्ररूप में या सह-बहिर्वेधन संरचना के प्ररूप में हो;

(ठ) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें उच्च बहुलक के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हो और जो तैयार उत्पादों की प्रक्रिया में ठीक उसकी प्रक्रिया में किसी स्तर तक बहाव द्वारा आवरित किया जा सकता हो ;

(ड) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे कोई प्लास्टिक उत्पाद अभिप्रेत है जैसे कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकेजिंग, जिसको उपयोग के पश्चात् या जिसका आशयित जीवन समाप्त हो जाने पर फैंक दिया जाता है;

(ढ) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों के विनिर्माण या पुनःचक्रण की इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

(ण) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जो पूर्व उपयोग नहीं की गई है और जो स्क्रैप या अपशिष्ट में भी सम्मिलित नहीं की गई है;

(त) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट की वैज्ञानिक रूप से कमी, पुनःउपयोग, पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(थ) **"अपशिष्ट चुनने वाले"** से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण में लगे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत हैं ।

4. **विहित प्राधिकरण-**

विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत हैं-

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी ;

(ख) पश्च उपभोक्ता प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण होगी ।

5. **शर्तें-**

कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) कैरी बैग या तो सफेद या केवल उन रंजकों और रंगकों के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए समय-समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 9833: 1981 के अनुरूप हैं ;

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा ;

(ग) कोई व्यक्ति, किसी अप्रयोज्य या पुनःचक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार, वितरण या विक्रय नहीं करेगा ;

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(ङ) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुरूप होंगे ;

(घ) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा./भा.मा.स. 17088 : 2008 के अनुरूप होंगे;

6. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध -

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगा :-

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या व्ययन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) प्लास्टिक का पुनःचक्रण, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगा ;

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :- (i) प्लास्टिक अपशिट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण , पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना; (ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो; (iii) विनिर्माणकर्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना; (iv) पुनःचक्रित करने वालों को इसका प्रणालन सुनिश्चित करना; (v) सभी पर्णधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना ; (vi) अपशिष्ट प्रबंध में, अपशिष्ट चुनने वालों सहित कार्य करने वाले अभिकरणों या समूहों को लगाना और (vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट का खुले में जलाया जाना अनुज्ञात नहीं होगा ;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र की स्थापना के लिए नगर पालिका प्राधिकरण, विनिर्माणकर्ताओं से ऐसे संग्रहण केन्द्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित वित्त उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत उत्पादककर्ता के उत्तरदायित्व (ई पी आर) के सिद्धांत के अनुसार या तो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पूछ सकेगा;

(ङ) पुनःचक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनःचक्रण सुविधाएं, भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार हैं और समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नियमों के अनुपालन में हैं;

(च) संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनःचक्रण प्रक्रिया से उत्पन्न अवशेष, समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 (लैंड फिल साइड्स के लिए विनिर्देश) के अनुपालन में व्ययनित किए गए हैं;

(छ) नगर पालिका प्राधिकरण, सभी शहरी स्थानों निकायों के नगर पालिका उपविधियों में उक्त नियमों को सम्मिलित करेगा ;

(ज) नगर पालिका प्राधिकरण, ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करके जैसे सड़क निर्माण में, सह-भष्मीकरण आदि द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा । ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए आशयित नगर पालिका प्राधिकरण या प्रचालक इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रदूषण सन्नियमों सहित विहित मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे ।

7. **कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार** - प्लास्टिक सामग्री के अवक्रमण की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों से उपाबद्ध सूची में भारतीय मानक ब्यूरो के नयाचारों के अनुसार होगा ।

8. **विपणन या लेबल लगाना-**

(क) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग निम्नलिखित जानकारी के साथ अंग्रेजी में या स्थानीय भाषा में मुद्रित होगी, अर्थात् :-

(i) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई ;

(ii) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या ।

(ख) प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानक ब्यूरो के समय समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुसार होगा;

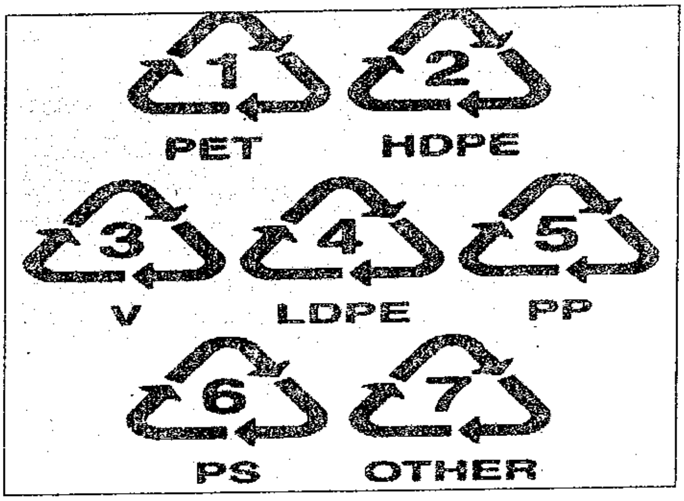

टिप्पणः पैट-पोलीथाइलिन टैरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च-डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल(पीवीसी), एलडीपीई -निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेनाइलिन ऑक्साइड), पीसी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि ।

(ग) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर "कंपोस्ट योज्य" का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088 : 2008 के अनुरूप होगा ।

(घ) फुटकर विक्रेता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विक्रीत प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पेकेजिंग, इन नियमों के अधीन अनुबद्धों के अनुसार समुचित रूप से लेबल लगाए गए हैं ।

9. विनिर्माकर्ता और पुनःचक्रणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण करता है या विनिर्माण करने के लिए प्रस्ताव करता है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए विनिर्माण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के

लिए **संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)** या संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को आवेदन करेगा ।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता है या पुनःचक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुनःचक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा ।

(ग) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुनःचक्रित प्लास्टिक बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न हो गया हो ;

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुनःचक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो ;

(ङ) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अनुदान करने पर विनिश्चय करेगी ;

(च) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ; और रजिस्ट्रीकरण को, विनिर्माणकर्ता को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा ;

(छ) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा ।

10. कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना - कोई भी कैरी बैग, उपभोक्ता को फुटकर विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा । संबद्ध नगरपालिका प्राधिकरण,

अधिसूचना द्वारा, कैरी बैगों के लिए, उनकी क्वालिटी और साइज पर आधारित जिसमें उनकी सामग्री और अपशिष्ट प्रबंधन लागत भी सम्मिलित हैं, उनके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके, न्यूनतम कीमत अवधारित करेगा ।

11. राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय -

(1) इन नियमों के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय होगा ।

(2) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) सचिव, शहरी विकास विभाग - अध्यक्ष ;

(ख) राज्य पर्यावरण विभाग से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(घ) शहरी स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ङ) गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(च) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य ; और

(छ) शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य ।

(3) राज्य स्तरीय सलहकार निकाय, एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा ।

12. वार्षिक रिपोर्ट -

(1) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

[फा. सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

राजीव गाबा, संयुक्त सचिव

उपाबंध

[नियम 7 देखें]

1.	भा.मा./ भा.मा. स. 14851: 1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति ।
2.	भा.मा./ भा.मा. स. 14852: 1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति ।
3.	भा.मा./ भा.मा. स. 14853: 2005 प्लास्टिक - जलीय तंत्र में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति ।
4.	भा.मा./ भा.मा. स. 14855-1: 2005 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग - 1 सामान्य पद्धति) ।
5.	भा.मा./ भा.मा. स. 14855-2: 2007 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग - 2 प्रयोगशाला पद्धति) ।
6.	भा.मा./ भा.मा. स. 15985: 2004 प्लास्टिक - उच्च - ठोसता की ऑक्सी (एनोरोबिक) डाईजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना - निकली बायोगैस की विश्लेषण पद्धति ।
7.	भा.मा./ भा.मा. स. 16929: 2002 प्लास्टिक - पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में विघटन का स्तर ज्ञात करना ।
8.	भा.मा./ भा.मा. स. 17556: 2003 प्लास्टिक - रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मृदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना ।
9.	भा.मा./ भा.मा. स.20200: 2004 - प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना-स्केल परीक्षण ।

प्ररूप 1

[नियम 9 देखें]

प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों के विनिर्माण के लिए किसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक.................................

....

.... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

....

....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (विनिर्माण और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

भाग - क

साधारण

1.(क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का नाम	
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण : (i) कैरी बैग : (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ङ)	नवीकरण की दशा में पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	

2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में डी आई सी /डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।	
3. (क)	परियोजना पर विनिधानित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन के आरंभ करने का वर्ष	
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें ।	
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों का न्यूनतम आकार	
7.	इन नियम के अनुपालन की प्रास्थिति	

भाग - ख

द्रव बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित

8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	

भाग - ग

अपशिष्ट से संबंधित

9.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए उपबंध	

नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख :

स्थान :

प्ररूप - 2

[नियम 9 देखें]

पुनःचक्रण प्लास्टिक अपशिष्टों के लिए पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंध व्यवहारों को प्रसंस्कृत करने वाली सुविधाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1.	इकाई का नाम और पता	
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन / फैक्स/ ई.मेल सहित	
3.	किए जाने की तारीख	
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)	
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ....तक विधिमान्य । ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ....तक विधिमान्य ।
6.	प्राधिकरण विधिमान्यता	
7.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलग्न करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम ।

8.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एम टी ए)	उत्पाद		संस्थित क्षमता
9.	पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पाद (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
10.	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त कच्चा माल (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
11.	जल उपभोग	औद्योगिक..............एम^3 / दिन घरेलू............. /.एम^3/ दिन		
	वह तारीख जिस तक जल उपकर संदत्त किया गया है (यदि लागू हो तो)			
	सहमति के अनुसार अपशिष्ट जल उत्पादन ....एम^3 /दिन	वस्तुतः उत्पादित अपशिष्ट जल (पिछले 3 मास का औसत) औद्योगिक..............एम^3 /दिन घरेलू..............एम^3 /दिन		
	अपशिष्ट जल अभिक्रिया (अभिक्रिया स्कीम का प्रवाहित डायग्राम दें)	औद्योगिक घरेलू		
	अपशिष्ट जल उत्सर्जन	मात्रा................ एम^3/ दिन अवस्थान .... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नियत पी एच, बी ओ डी, सी ओ डी, एस एस, ओं एंड जी अन्य पैरामीटर के लिए अपशिष्ट जल अभिक्रिया का विश्लेषण ।		
12.	वायु प्रदूषण नियंत्रण			
	क. प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई, उपयोगिताओं आदि के लिए संस्थित " स्राव नियंत्रण प्रणाली (प्रणालियों) के लिए प्रवाहित डायग्राम दें स्र			
	ख. सामग्री प्रहस्तन, प्रक्रिया, उपयोगिताओं आदि के कारण कच्चे			

	" स्रावों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे ।				
	ग. ईंधन उपभोग	ईंधन		मात्रा प्रतिदिन / मास	
		(i)			
		(ii)			
	घ. स्टेक स्राव मानीटरिंग	निम्नलिखित से संलग्न स्टेक		" स्राव (एसपीएम, एम ओ$_2$, एनओ एक्स आदि) एमजी/ एम^3	
		(i)			
		(ii)			
	ङ परिवेशी वायु क्वालिटी	अवस्थान परिणाम एमजी/ एनएम^3		पैरामीटर (एसपीएम, एम ओ$_2$, एनओ एक्स आदि) एमजी/ एनएम^3	
		(i)			
		(ii)			
13.	अपशिष्ट प्रबंधन :	क्रम संख्या	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण में अपशिष्ट उत्पादन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	ख. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन (ब्यौरे संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट व्ययन ब्यौरे	क्रम संख्या	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
		(i)			
		(ii)			
	घ. व्ययन सुविधा के ब्यौरे दें ; क्या सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत है				
	ङ कृपया उत्पादित अपशिष्ट के प्रकृतिकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो निक्षालन परीक्षण सहित)				

14.	कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए, यथास्थिति, विक्रय, नीलामी, संविदा या आयात के माध्यम से अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट ब्यौरे	(i) नाम (ii) अपेक्षित मात्रा / वर्ष
15.	अधिभोग सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया सुविधाओं के ब्यौरे दें।
16.	टिप्पण :	
	क्या इकाई, " स्राव / बहिस्राव के मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां/ उपस्कर रखती है।	यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें।
	क्या इकाई, उक्त नियमों में अधिकथित शर्तों के अनुपालन में है।	हां / नहीं
	क्या प्रहस्थित / प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की ऐसी शर्तें विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल शीघ्र या विलंबित प्रभाव पड़ता है।	हां / नहीं
	क्या प्रहस्थित / प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की, किसी ऐसे उपाय द्वारा जो किसी ऐसी अन्य सामग्री को (अर्थात् निक्षालन) उत्पन्न करने में समर्थ है जो पर्यावरण विषाक्तता रखती है, शर्तें विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है)।	हां / नहीं
17.	कोई अन्य संगत जानकारी	
18.	नियम के अनुसार संलग्नकों की सूची	

नाम और हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :

स्थान :

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1258] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 2011/आषाढ़ 11, 1933
No. 1258] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 2011/ASADHA 11, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2011

का.आ.1527(अ).—प्रारूप नियम अर्थात् अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) संशोधन नियम, 2011 भारत के राजपत्र में असाधारण, तारीख 25 अप्रैल, 2011 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 782(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं, पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 मई, 2011 को उपलब्ध करा दी गईं थीं ;

और उक्त प्राप्त नियम के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2 (1) नियम 5 और नियम 8 के उपबंध सम्बद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात के लिए किसी आदेश के विरुद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैरी बैगों के विनिर्माण को लागू नहीं होंगे।"

(2) यह छूट किसी अधिशेष या निराकृत अवशेष और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगी ।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, —

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ख) "कैरी बैग" से वस्तुओं के वहन करने या वितरण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत है किंतु इसमें वह बैग सम्मिलित नहीं है जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद किया जाता है';

(ख) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड शब्द रखा जाएगा, अर्थात् :--

(छ) "विस्तृत उत्पादक का उत्तरदायित्व (ईपीआर)" से प्लास्टिक कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों तथा ऐसे कैरी बैगों और ऐसे ब्रांड के स्वामी हैं जोऐसे कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों का जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो, पर्यावरण रूप से सुदृढ़ प्रबंध के लिए उपयोग कर रहे हैं, का विनिर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है ;"

(ग) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(झ)"विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों या उसी प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण कर रहा है ;";

(घ) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ट)"बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली" से पैकिंग सामग्री जैसे कागज, कागज बोर्ड धात्विक स्तर या एल्युमिनियम पन्नियां या लैमिनेट रूप में या सह बहिर्वेधन संरचना के रूप में हों, के एक या अधिक स्तरों के संयोजन से कम से कम प्लास्टिक का एक स्तर वाली पाउच या थैली अभिप्रेत है ;';

(ङ) खंड (ड) में, "बहुस्तरीय पैकेजिंग" शब्दों के स्थान पर "बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली आदि" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ढ) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक के कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण की विनिर्माण इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

4. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4(क) रजिस्ट्रीकरण, विनिर्माण और पुनःचक्रण से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी ;

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथककरण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगरपालिका प्राधिकरण विहित प्राधिकरण होगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(क) के खंड (क) में, "सफेद" शब्द के स्थान पर "प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाए गए रंजकों के बिना हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रुपों में तंबाकू की पैकिंग के लिए नहीं किया जाएगा ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--

"(घ) (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण प्रणालियों का गठन के लिए संबद्ध नगरपालिका का उत्तरदायित्व होगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका प्राधिकरण प्लास्टिक कैरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों के विनिर्माता या ऐसे, ब्रांड स्वामी जो ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, की सहायता ले सकेगा ;

(ii) नगर पालिका प्राधिकरण, उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व पर आधारित क्रियाविधि की रुपात्मकता पर कार्य कर सकेगा जिसमेंऐसे विनिर्माता जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं और ऐसे ब्रांड स्वामी जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं, को अंतवर्लित करते हुए यथासाध्य या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से अपने स्वयं के अभिकरणों के माध्यम से संग्रहण प्रणालियों के गठन पर कार्य कर सकेगा ;";

(ख) खंड (ज) में "प्रदूषण सन्नियमों" शब्दों के स्थान पर "प्रदूषण नियंत्रण सन्नियमों" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में "बहुस्तरीय पैकेजिंग" शब्दों, जहां-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर "बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, —

(क) खंड (क) में, "कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों" शब्दों के स्थान पर "प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ख) में, "बहुस्तरीय प्लास्टिकों" शब्दों के स्थान पर "बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) कोई व्यक्ति अपने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या पुनःचक्रित प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या कोई अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट का विनिर्माण नहीं करेगा" ;

(घ) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) (i) प्रत्येक, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने का विनिश्चय करेगी :

परंतु यदि सभी प्रकार से पूर्ण किसी आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आवेदक को अंतिम विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जाएगा ;

(ii) कोई विनिर्माता जो पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के अधीन विनिर्माण के लिए पहले ही रजिस्ट्रीकृत है, उससे इन नियमों के अधीन रजिस्टर होने की अपेक्षा नहीं होगी और अन्य विनिर्माताओं को इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें रजिस्टर होना होगा ।"।

(9) उक्त नियमों में, प्ररूप - 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"प्ररूप 1

(नियम 9 देखें)

प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली के विनिर्माण के लिए किसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

....

....

.... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

....

....

.... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (विनिर्माण और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

भाग - क साधारण			
1.	(क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
	(ख)	इकाई का पता	
	(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण : (i) कैरी बैग (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली	
	(घ)	विनिर्माण क्षमता	
	(ङ)	नवीकरण की दशा में पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
2.		क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में (डी आई सी)/विकास आयुक्त लघु उद्योग/ (डी सी एस एस आई) में रजिस्ट्रीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।	
3.	(क)	परियोजना पर विनिधानित कुल पूंजी	
	(ख)	उत्पादन के आरंभ करने का वर्ष	
4.	(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	

(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत नियंत्रित विद्युत उत्पाद और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें ।	
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों की मोटाई	
7	इन नियम के अनुपालन की प्रास्थिति	
	भाग ख द्रव बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।	
	भाग - ग अपशिष्ट से संबंधित	
9.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए उपबंध	

नाम और हस्ताक्षर

पदनाम ।" ।

स्थान :

तारीख :

टिप्पण --- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 249(अ) तारीख 4 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

[फा. सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव